2017/0103

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता , आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 04 / 2017 (निगरानी)

उनवान

दीनदयाल (मृतक) जर्ये कायम मुकामान
1/1 देवेन्द्र पांचाल आयु 22 वर्ष
1/2 आकाश पांचाल आयु 18 वर्ष
1/3 ज्योति पांचल आयु 33 वर्ष
1/4 आरती पांचाल (रिंकू) आयु 26 वर्ष
1/5 सानिया पांचाल आयु 24 साल पिसरान स्व0 दीनदयाल पांचाल
1/6 श्रीमती मगता पांचाल पत्नी स्व0 दीनदयाल पांचाल निवासीगण बपावर कलां पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा
2. राजेश आत्मज स्व0 जगन्नाथ जाति लुहार
3. रूपनारायण आत्मज स्व0 जगन्नाथ जाति लुहार
4. राधेश्याम आत्मज स्व0 जगन्नाथ जाति लुहार निवासीगण बपावरकलां पं0 सं0 सांगोद जिला कोटा

(निगराकारान)

बनाम

1. रमेश चंद आत्मज नेमीचंद जाति लुहार
2. ओमप्रकाश आत्मज नेगीचंद जाति लुहार
3. श्रीमती द्वारका बाई पत्नी स्व0 बद्रीलाल जाति लुहार निवासीगण बपावरकलां पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा
4. ग्राम पंचायत बपावरकलां पंचायत समितिं सांगोद जिला कोटा द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत बपावरकलां

(गैर निगराकार)

उपस्थित :– 1. श्री दीनानाथ गालव (अभिभाषक निगराकार)
2. श्री रामबाबू मालव (अभिभाषक गैर निगराकार)

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्ध ग्राम पंचायत बपावरकलां पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा जिसाल नं0 19 आदेश दिनांक 22.05.2017

निर्णय दिनांक : 06.12.2019

1. निगराकारान द्वारा यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज0 पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि श्रीमति मोत्याबाई स्व0 छीतरजी की धर्मपत्नी थी तथा छीतर जी का स्वर्गवास होने के कारण उनके कोई सन्तान न होने से एक मात्र उनकी वारिस भी थी । श्रीमती मोत्याबाई का देहान्त दिनांक 21.11.2016 को हो गया, वे निर्वसीयत मरी । श्रीमती मोत्याबाई के पति छीतर लाल थे, उनके दो सगे भाई बद्रीलाल व नेमीचंद की भी उनकी मृत्यु के पश्चात मृत्यु हो गई । बद्री लाल के 3 पुत्र संतान हुई जिनमे पुत्र जगन्नाथ, दीनदयाल व मोहनलाल हुए, मोहनलाल निसंतान मरा । उनकी पत्नी का भी देहान्त हो गया तथा जगन्नाथ के 4 संताने है तथा स्व0 मोतियाबाई की मृत्यु के पश्चात दाहसंस्कार व समस्त क्रियाक्रम दीनदयाल द्वारा किया गया । मोत्याबाई निःवसीयत मरी । उनकी मृत्यु के पश्चात उनके सही उत्तराधिकारियों की हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत जांच किये बिना मनगाने तौर पर एक फर्जी, अनस्टाम्प्ड आलेखित फर्जी फोटो कोपी को राजीनामा मानकर निगराकारान व बद्रीबाई की आपत्तियों को नजर अंदाज कर गैरनिगराकरान क्रम 1 व 2 के पक्ष मे वारिसी प्रमाण पत्र दिनांक 22.05.2017 को जारी कर दिया, जिसका

न्यायालय जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य किसी को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नही है । अपने तुगलगी निर्णय से नामान्तरकरण खोले जाने का एक आदेश दिनांक 22.05.2017 को जारी कर दिया है । जो विधि विरूद्व होने से न्याय के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे जहां किसी संपत्ति का बेचान, अन्तरण व वसीयत नही हो, वहां धारा–40 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट मे मात्र उत्तराधिकार अधिनियम को ही देखा जाना चाहिये, केवल पगडी बांधने के कयासों पर किसी को उत्तराधिकार या वारिसाना अधिकार प्राप्त नही होते । अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 22.05..2017 निरस्त करने का निवेदन किया गया ।

2. निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरनिगराकार की तलबी की गई। गैरनिगराकार नं0 1 व 2 की ओर से श्री रामबाबू मालव एड0 व गेरनिगराकार नं0 3 की ओर से श्री नरेन्द्र शर्मा अभिभाषक ने वकालतनामा पेश किया गया।

3. वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई । विद्वान अभिभाषक निगराकार ने कथन किया कि ग्राम पंचायत को वारिस प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नही है । उक्त अधिकार सिविल न्यायालय मे निहित है । ग्राम पंचायत द्वारा मृतक मोत्या बाई के समस्त वारिसान की बिना सुनवाई किये वारिस प्रमाण –पत्र जारी किया है जो निरस्त किया जाये ।

4. गैर निगराकार के विद्वान अभिभाषक का बहस मे कथन था कि निगराकार की विधिवत रूप से सुनवाई कर वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है जो सही है । बद्रीलाल द्वारा इसमे कोई आपत्ति भी प्रस्तुत नही की गई है । जिस दस्तावेज के आधार पर वारिस प्रमाण पत्र जारी किया गया है वह दिनांक 14.07.2011 का है । उसे बिना चेलेन्ज किए यह निगरानी पेश की गई जो खारिज किये जाने योग्य है । इसके अलावा पंचायत अधिनियम की धारा 97 के तहत इस न्यायालय को निगरानी सुनने का अधिकार नही है । अतः निगरानी खारिज की जाये ।

5. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया गया । यह निगरानी मोत्या बाई पत्नी छीतर का देहान्त होने के उपरांत तथाकथित दस्तावेज फोटो कोपी को राजीनामा मानकर निगराकार व बद्री की आपत्ति को नजर अंदाज कर गैर निगराकार के पक्ष मे वारिसी प्रमाण पत्र दिनांक 12.05.2017 को जारी किये जाने के खिलाफ पेश की गई है ।

ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि गैर निगराकार द्वारा सरपंच को मृतक मोत्या बाई का वारिस प्रमाण पत्र पेश करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने पर निगराकार द्वारा आपत्ति करने तथा तथाकथित राजीनामे मे गवाह उदालाल आ0 जयलाल व मदनलाल आ0 कन्हैयालाल द्वारा खिलाफ बयान देने के उपरांत भी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ग्राम पंचायत बपावरकला द्वारा गैर निगराकार रमेश/ ओमप्रकाश पुत्रान नेमीचन्द तथा संतोष पुत्री नेमी चंद के हक मे वारिस प्रमाण पत्र जारी किया गया । वारिस प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार सिविल न्यायालय को ही प्राप्त है । तथाकथित बंटवारानामे की फोटोप्रति से भी गैरनिगराकार का मोत्या बाई का वारिस होना साबित नही होता । उक्त दस्तावेज भी सम्पत्ति के बंटवारे के संबंध मे आलेखित किया गया है । बिना किसी क्षेत्राधिकार के ग्राम पंचायत बपावरकलां द्वारा मोत्या बाई का वारिस प्रमाण पत्र जारी करने मे त्रुटि की गई है । अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 22.05.2017 को जारी वारिस प्रमाण पत्र खारिज किया जाता है ।

6. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

7. निर्णय आज दिनांक 06.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(श्री नरेन्द्र गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा